

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

उपखण्ड

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, राजसमन्द जिला मुख्यालय
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प (नाडा-यादगा)

— आदेश —

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पहचानी आमनिया-कुला
व गूअनि पदगाव की रिपोर्ट तथा तहसीलदार देवराय पिठवगा / तहसीलदार
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसारण में ग्राम आमनिया-कुला तहसील देवराय व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 (2020) में खाता संख्या 20 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	आमनिया-कुला	20	उदेवराय पिठवगा कलाई	उदेवराय पिठवगा कलाई

पीठारीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,

दिनांक :-

ग्रामांक:- 427
प्रतिस्तिपि :-

1. तहसीलदार देवराय पिठवगा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्राथी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठारीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,